



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122020-223955
CG-DL-E-28122020-223955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2020/ अग्रहायण 30, 1942

No. 08]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2020/AGRAHAYANA 30, 1942

रक्षा मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2020

का.नि.आ. 8(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 की 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्याक का. आ.11357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किया है;

और उक्त ठोस कचरा प्रबंधन नियम, के साथ-साथ प्रत्येक स्थानीय शहरी निकाय, विस्तारित नगर बस्तियाँ, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा यथा घोषित जनगणना कस्बा, अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित औद्योगिक बस्ती, भारतीय रेल के नियंत्रणाधीन क्षेत्र, हवाई अड्डे, हवाई जहाजों के रखने का स्थान, बन्दरगाहों, सैन्य प्रतिष्ठानों, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के संगठन, श्रद्धालु स्थल, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर अधिसूचित धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थान तथा प्रत्येक घरेलू, संस्थान, वाणिज्यिक तथा क्षेत्र में स्थित अन्य गैर आवासीय ठोस कचरा उत्सर्जक, औद्योगिक कचरा, जोखिमपूर्ण कचरा, जोखिमपूर्ण रसायन, बायोमेडिकल कचरा, ई-कचरा लीड एसिड बैट्री तथा रेडियों एक्टिव कचरा के अतिरिक्त जो उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पृथक नियमों के अधीन आता है;

और ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 के खण्ड (ड) के उक्त नियमों में अधिसूचित होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर सभी स्थानीय प्राधिकारियों को उप- नियमों को विरचित करने के लिए कर्तव्य बाध करता है;

और गौरी ग्रोवर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के रिट याचिका (सिविल) सं0 8917/2015 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि दिल्ली में स्थानीय प्राधिकारियों ने ठोस कचरा प्रबंधन पर उप-नियम विरचित नहीं किया है;

और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के विभिन्न भागों के निर्धारण में एकरूपता के लिए सभी स्थानीय निकायों को सम्मिलित करके नियमों की विरचना के लिए एक समिति गठित की है और माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उप राज्यपाल ने दिल्ली के विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित उप-नियमों को अधिसूचित किया है;

और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने तारीख 14 मार्च, 2018 को पारित अपने आदेश द्वारा दिल्ली छावनी परिषद् को अनुमति प्रदान की है कि वह छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन यथा उपबंधित उप-नियमों की अधिसूचना की प्रक्रिया का अनुसरण करें;

अतः अब छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 348 के साथ पठित ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, दिल्ली छावनी परिषद् निम्नलिखित प्रारूप उप-नियम को प्रकाशित किया जाता है, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 350 की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित हैं सूचना दिये जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियम पर विचार किया जाएगा तथा भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् जनता के लिए प्रति उपलब्ध होगी;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि कि समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप उप विधियों से संबंधित किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जायेगा।

इन उप विधियों से संबंधित, यदि कोई, आपत्तियों या सुझावों को कार्यालय अधीक्षक, दिल्ली छावनी परिषद् सम्बोधित किया जा सकता है।

उप-विधि प्रारूप

दिल्ली छावनी परिषद् ठोस कचरा प्रबंधन उप-विधि 2020

अध्याय - 1

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन उप - नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली छावनी परिषद् ठोस कचरा प्रबंधन उप - नियम, 2020 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:** ये उप - नियम दिल्ली छावनी की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं:**

(1) जब तक कि सदर्थ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन उप - नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू होंगी:-

(क) **बोर्ड** से दिल्ली छावनी परिषद् अभिप्रेत हैं।

(ख) **“प्रपुंज उद्यान और बागवानी कचरा”** का अर्थ है, उपवन और उद्यानों से उत्सर्जित प्रपुंज कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ‘ब्राउन’ सामग्री जैसे पेड़ों की छंटाई से उत्पन्न कचरा, पेड़ों की कटिंग, टहनियां, लकड़ी की कतरन, भुसा, सूखी पत्तियां, पेड़ों की छंटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटित कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता।

(ग) **“प्रपुंज कचरा उत्सर्जक”** का अर्थ है ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसडब्ल्यूएम नियम कहा गया है) के नियम के 3 के उपनियम (1)के खंड (8)के अधीन यथा परिभाषित प्रपुंज कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड

कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक, समय समय पर मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा

(घ) “संग्रह” का अर्थ है कचरा उत्सर्जन के स्रोत संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान से ठोस कचरे को उठाना और पहुंचाना।

(ङ) “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ है, बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति।

(च) “निर्माण और विध्वंस कचरा” का वही अर्थ होगा जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 के नियम (3) के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन है।

(छ) “स्वच्छ क्षेत्र” का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल है जिनका रख - रखाव इन उपनियमों के अंतर्गत किया जाता है।

(ज) “सामुदायिक कूड़ा घर” का अर्थ है बोर्ड द्वारा स्थापित और संचालित कोई कूड़ा घर या एक या अधिक परिसरों के स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सड़क किनारे या ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केन्द्र जिसे इसमें इसके पश्चात् ढलाव कहा गया है।

(झ) “कंटेनराइज्ड ठेला” का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु बोर्ड या एजेंसी उसके द्वारा नियुक्त एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला।

(ञ) “परिदान” का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को बोर्ड के वर्कर या ऐसे कचरे के परिदान के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या अनुज्ञप्त कोई अन्य व्यक्ति प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए किसी वाहन में डालना।

(ट) “ई-कचरा” का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3 उप-नियम (1), खंड (द) में है।

(ठ) “फिक्सड कम्पैटर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)” का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैक्ट करने के लिए किया गया है और जो प्रचालन के समय, स्थिर रहती है और प्रचालन के समय कम्पैक्टर गतिशील भी हो सकता है, जिसे इसमें इसके पश्चात् एम टी एस कहा गया है;

(ड) “कूड़ा -करकट” का अर्थ है, सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल है जिसे फेंकना या संग्रह करना इन उप-नियमों के अधीन प्रतिबद्ध है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को न्यूसेंस होने, या पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचने कि आशंका हो।

(ढ) “गंदगी फैलाने”, का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना या तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर या किसी अन्य तरीके से पहुँचती हो या गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने कि आशंका हो।

(ण) “स्वामी” का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या उसके किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का प्रयोग करता है।

(त) “अधिभोगी/दखलकार” का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/कब्जेदार हो इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिये किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का प्रयोग कर रहा हो।

(थ) “पैलेटाइनजेशन” का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती है, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब या बेलनाकय टुकड़े होते हैं, और उनमें ईंधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें रिफ्यूज डेराइज्ड ईंधन कहा जाता है;

(द) “विहित” सेएसडब्ल्यूएम नियमों या इन उप-नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ध) “सार्वजनिक स्थल” का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के प्रयोग और उपभोग के लिए सहज सुलभ है, चाहे वास्तव में लोगों द्वारा प्रयोग या उपभोग किया जाता है या नहीं;

(न) “संग्रहण” का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस रीति से संग्रह करना जिससे गंदगी या रोगवाहकों का आकर्षण या आवारा पशुओं और अत्यधिक दुर्गंध को रोका जा सके।

(प) "सफाई कामगार" का अर्थ हैं, दिल्ली छावनी क्षेत्र में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने या नालियों को साफ करने के लिए बोर्ड या इसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति;

(फ) "अनुसूची" से इन उप-नियमों से सम्बंध अनुसूची अभिप्रेत है।

(ब) "उपभोक्ता फीस या प्रभार" का अर्थ हैबोर्ड द्वारा समय-समय पर सक्षम अधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया फीस या प्रभार, है ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई प्रसंस्करण और निपटान सेवाओं की आंशिक या पूर्ण लागत का समावेश हो सके।

(भ) "खाली प्लॉट" का अर्थ है किसी व्यक्ति या प्राइवेट एजेंसी या सरकारी एजेंसी से या लोक उपक्रम का या उसके प्रबंधाधीन कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान जिस पर किसी का कब्जा न हो।

(2) उन शब्दों और पदों, के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 तथा निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 में है।

अध्याय -2

ठोस कचरे का पृथक्करण और प्राथमिक संग्रणण

4. ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण:-

(1) सभी कचरा उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रूप से पृथक करें और उसे संग्रहित करें। यह तीन वर्गों में किया जायेगा अर्थात्:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बों में रखा जाएगा तथा समय-समय पर जारी बोर्ड के निर्देशों के अनुसार पृथक्कृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रह कर्ताओं को सौंपेगा।

(2) प्रत्येक थोक कचरा उत्सर्जक का स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करें और उसे संग्रहित करें निम्नांकित तीन वर्गों में:-

(क) गैर-अपघटीय या खुशक कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कुड़ेदानों में जोखिम पूर्ण कचरा और पृथक्कृत कचरे को प्राधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसी द्वारा प्राधिकृत कचरा प्रसंस्करण या निपटान केंद्रों या संग्रहण को सौंपेगा और उसके लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान प्राधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(3) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदान का हरा रंग जैव अपघटीय कचरे के लिए नीला रंग गैर- जैव अपघटीय या खुशक कचरे तथा काला रंग घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए।

(4) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, बोर्ड के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किये गए ठोस कचरे को अलग- अलग डिब्बों में संग्रहित किया जाए और फिर से प्रयोग की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः प्रयोग करने वालों को सौंपी जाए। जैव अपघटीय कचरे कि प्रसंस्करण, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को बोर्ड द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जायेगा।

(5) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय और संस्थान बोर्ड की भागीदारी के साथ सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग-अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः प्रयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः प्रयोग करने वालों को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रसंस्करण, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव

परिसर के भीतर ही किया जायेगा। इससे बचे हुए कचरे को बोर्ड द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जायेगा।

(6) सभी होटल और रेस्त्रां, बोर्ड के भागीदारी से कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग-अलग डिब्बों में संग्रहित करेंगे और फिर से प्रयोग की जाने वाली सामग्री प्राधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं या प्राधिकृत पुनः प्रयोग करने वालों को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे कि प्रोसेसिंग उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन तकनीक के द्वारा यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जायेगा। इससे बचे हुए कचरे को बोर्ड, द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जायेगा।

(7) कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह आवश्यक होगा कि अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उपभोक्ता फीस का भुगतान करते हुए बोर्ड को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम ऑनलाइन लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग-अलग किया जाए ताकि बोर्ड द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सके।

(8) सफाई उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबंधी विनिर्माताओं या ब्रैंड मालिकों द्वारा प्रदान किये गये पाउचों या अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुशक कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए।

(9) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के द्वारा उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री निपटान योग्य प्लैट, कप, डिब्बे, रैंपर्स, नारियल के खोल, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग-अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानों में संग्रहित करेगा और उसे बोर्ड द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौंपेगा।

(10) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग एकत्र करेंगे और समय-समय पर बोर्ड, के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(11) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा संग्रहण किया जाएगा और उसे बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा साप्ताहिक/समय-समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा या ऐसे कचरे को दिल्ली सरकार या डीपीसीसी द्वारा निर्देशित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(12) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन अलग से एकत्र और निपटान किया जाएगा।

(13) बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा जोखिमपूर्ण रासायनिक औद्योगिक कचरा, बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

(14) नाम निर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजारों को छोड़ कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे स्वामी या कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोल्ट्री, मछली और पशु संबंधी कचरा उत्सर्जित करते हों उन्हें ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और प्रतिदिन के आधार पर विनिर्दिष्ट समय पर बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन तक पहुंचाना होगा।

परन्तु ऐसे कचरे को सामूदायिक कूड़ा घरों में डालना निषिद्ध होगा।

(15) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलेवरी निगम श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता या समूह में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय-समय पर अधिसूचित करनी होगी।

अध्याय -3

5 "ठोस कचरा संग्रह" (1) "ठोस कचरा" संग्रहबोर्ड के सभी क्षेत्रों या वार्डों में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर-घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्ल्यूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों

सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को बोर्ड संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(2) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे संबंधित क्षेत्र में खास-खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और बोर्ड वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने का सामान्य समय प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का सामान्य समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। गृहस्थी संस्था या वाणिज्यिक ईकाईयां कचरे को कूड़ा संग्रहकर्ता को देंगे।

(3) कचरे को स्व-स्थान प्रसंस्करण करने वाले समूह कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने के प्रबंध किये जायेंगे।

(4) सब्जी, फल, फूल, मांस, कुक्कुट और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को दिन-प्रतिदिन के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(5) वागबानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(6) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, समूह वागबानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम प्रयोग करने और संग्रहण एवं ढुलाई कि लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रसंस्करण या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।

(7) कैंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषिद्ध है। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों कि उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के अधीन किया जाएगा।

(8) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को बोर्ड द्वारा या अधिसूचित प्राधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात ऑटो-टिप्पर/रिक्शा आदि में डालने जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटों, आवास परिसरों से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से या किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(9) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिक में नई खोजों को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे जो ऊपर से हाइड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगे और इनमें जैव अपघटीय और गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग-अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे, ऐसे वाहनों में हूटर भी लगा होगा।

(10) स्वाचालित ध्वनि रिकार्डिंग उपकरण, घंटी या शोर या अनुज्ञेय ध्वनि स्तर से अनधिक आवाज की अन्य डिवाइस भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया जायेगा।

(11) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण और ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएं और बोर्ड द्वारा या अधिसूचित प्राधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। ये योजनाएं तालिका बद्ध और जीआईएस मानचित्र के रूप में होगी, जो बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभ करने का समय, प्रतिक्रिया स्थलों, मार्ग पर रुकने का समय, अन्तिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अन्तिम समय का उल्लेख होगा। बोर्ड या अधिसूचित प्राधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों कि समय सारणी प्रदर्शित की जायेगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें ऐसी जानकारी बोर्ड कि वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

(12) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन कि सेवाएं संभव न हो, वहां एक तिपहिया या छोटा मोटरयुक्त वाहन काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाइड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सुखे कचरे के लिए अलग-अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों में हूटर लगा होगा और वह मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(13) अत्यंत भीड़-भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां तिपहिया या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा या अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किये जायेंगे।

(14) ऐसी छोटी तंग और भीड़ी-भाड़ गलियों या लेनों में जहां तिपहिया या रिक्शा आदि का संचालन संभव न होऐसे स्थानों पर बस्ती या गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सकें और वाहन का हेल्पर या ड्राइवर के पास एक सीटी होगी, और वे सीटी बजाते हुए गली में चलकर ठोस कचरा संग्रह के लिए वाहन के आगमन कि घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और बोर्ड की बेवसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(15) ऑटो टिप्पर तिपहिया, रिक्शा और इस सेवा में संगलन किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कुड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(16) बोर्ड या उसके अधिसूचित प्राधिकृत कचरा संग्रहकर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र कि सभी गलियों या लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्याय - 4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं में ठोस कचरे का संग्रहण

(1) घरों से एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामूदायिक कूड़ा घरों या अचल या चल अन्तरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जायेगा।

(2) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनमें निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होंगे-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(3) पृथक किये गये कचरे के संग्रहण के लिए बोर्ड द्वारा चिह्नित अलग-अलग कंटेनरों का प्रयोग निम्नांकित रीति से किया जाएगा-

(क) हरा: जैव अपघटीय कचरे के लिए;

(ख) नीला: गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए;

(ग) काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए।

(4) कचरा को सुगम संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता बोर्ड समय-समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगा ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव ना हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(5) बोर्ड स्वयं या बाहरी एजेंसियों के माध्यम से ठोस कचरा संग्रहण केन्द्रों का संचालन इस ढंग से करेगा कि उनके आस-पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(6) द्वितीयक संग्रहण डिपो में विभिन्न आकार के कंटेनर बोर्ड या किन्हीं अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जायेंगे, जो इन उप-नियमों में यथा विनिर्दिष्ट अलग रंगों के होंगे।

(7) संग्रहण केन्द्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर किया जायेगा कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है। संग्रहण केन्द्र उपभोक्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन

इस तरह से तैयार किया जायेगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रह किये गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

(8) सभी आवास सरकारी समितियों, संगठनों, भावाक्षिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रगीन कूड़ेदान रखे और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर प्रयाप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखे ताकि वहाँ प्रतिदिन उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संग्रहीत किया जा सके।

(9) बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे नियमित आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और उन्हें संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

7. सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर:-

(1) बोर्ड अपने वर्तमान ढलावों या पहचान किये गये खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका प्रयोग गली या घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवाओं के माध्यम से एकत्र किये गये सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जायेगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केन्द्रों की संख्या बढ़ायी जा सकती है।

(2) गली या घर-घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के माध्यम से और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव उपघटीय कचरा) ऐसे नामनिर्दिष्ट रीसाइकलिंग केन्द्रों को स्थानांतरित किया जायेगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट केन्द्र सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(3) परिवारों के लिए यह प्रावधान भी होगा कि वह अपना रीसाइकलिंग योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केन्द्रों पर सीधे जमा करा सकते हैं या प्राधिकृत एजेंटों या बोर्ड के प्राधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्म कांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। प्राधिकृत एजेंट या प्राधिकृत कचरा व्यापारी जैसी भी दशा हो, को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकलिंग योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के उपबंधों के अनुसार द्वितीयक बाजार या रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते हैं। प्राधिकृत एजेंट या प्राधिकृत कचरा व्यापारी विक्री से प्राप्त राशि रखने के हकदार होंगे।

8. विनिर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केन्द्र:-

(1) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रहण के लिए एक संग्रहण केन्द्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जायेगा जहां विनिर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जायेगा, ऐसा सरकार द्वारा विहित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जायेगा और कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करेगा।

(2) बोर्ड अपनी एजेंसी को या झूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वे सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथक्कृत तरीके से एकत्र करें। इस तरह एकत्र किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केन्द्र पर अलग से लाया जायेगा।

अध्याय-5

ठोस कचरे की ढुलाई

9. ठोस कचरे की ढुलाई-ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित रीति में रख की जायेगी अर्थात्:-

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभांति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इन वाहनों में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन भी शामिल हो सकते हैं और बोर्ड द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(ii) बोर्ड द्वारा स्थापित संग्रहण केन्द्र कचरे को निपटान के लिए प्रतिदिन काम करेंगे। कूड़ेदानों या कंटेनरों के आसपास के क्षेत्र को साफ रखा जायेगा।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कृत जैव अवघटीय कचरा प्रसंस्करण प्लांटों जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथेनेशन प्लांट या किसी अन्य केन्द्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जायेगा।

(iv) जहां कहीं प्रयोज्य हो जैव अवघटीय कचरे के लिए ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रसंस्करण को वरीयता दी जायेगी।

- (v) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघट्य कचरा सम्बंध प्रसंस्करण केन्द्रों या द्वितीयक संग्रहण केन्द्रों में पहुंचाया जाएगा।
- (vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
- (vii) बोर्ड कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई का प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद, काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटायी जायगी।
- (viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जायेगा कि अन्तिम निपटारे से पहले कचरे के बार-बार परिचालन से बचा जा सके।
- (ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाये वाहन कचरे को केवल एमटीएस या एफ सी टी एस जहां कहीं भी उपबंधित हो, में जमा या स्थानांतरित करेंगे।
- (x) यदि किसी कारणवश एमटीएस या एफ सी टी एस नाम निर्दिष्ट स्थल पर किसी कारण से समय पर खड़े नहीं पाये जाएंगे तो 'लदा वाहन' अगले एमटीएस या एफसीटीएस या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल को कचरा गिराने के लिए जाएगा।
- (xi) एफसीटीएस को हुक लोडर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।
- (xii) एमटीएस या बोर्ड कचरे को कम्पोस्ट, प्लांट कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट या बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अन्य स्थल या प्लांट तक ले जाएगा।
- (xiii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होगा।
- (xiv) गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवार्यें प्रत्येक दिन उपलब्ध करायी जाएगी।
- (xv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले नाम निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य यानों या कूड़ादानों से कचरा प्राप्त करेगा।
- (xvi) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर-घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो टिप्परों, तिपहिया वाहनों, रिक्शो आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रूट प्लान के अनुसार विनिर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किये जाएंगे।
- (xvii) एमटीएस और एफ सी टी एस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण यानों से उतारने में कम से कम समय ले और कूड़ा करकट इधर उधर न फैले।
- (xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के नजदीक रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिये, ताकि कोई रिसाव ना बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् संक्रमण विरोधी पदार्थ का प्रयोग किया जायेगा।
- (xix) बोर्ड या उसकी प्राधिकृत एंजेसी सभी द्वितीयक संग्रहण केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6

ठोस कचरे का प्रसंस्करण

10. ठोस कचरे का प्रसंस्करण:

- (1) बोर्ड ठोस कचरा प्रसंस्करण केन्द्रों और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं या किसी एंजेसी के माध्यम से व्यवस्थ करेगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जायगी और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाएगा अर्थात्:-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नतम रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण को वरीयता दी जायगी जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन या जैव अवघटीय कचरों की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केंद्रीयकृत स्थलों पर स्थित मध्यम या बड़े कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन प्लांटों के माध्यम से;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के माध्यम से, ठोस कचरा आधारित बिजली संयंत्रों को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज ईंधन के रूप में या फीड स्टॉक आपूर्ति के रूप में ईंधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के माध्यम से; और

(ण) रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(2) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सुसंगत अनुबंधों की कार्यशर्तों का भाग होगा।

(3) बोर्ड सुनिश्चित करेगा की कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपड़ा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली प्राधिकृत एजेंसियों को भेजा जाये।

11. ठोस कचरे की प्रसंस्करण के लिए अन्य दिशा-निर्देश:-

(1) बोर्ड सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों और रेस्त्राओं बेंक्रेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन के माध्यम से जैव अवघटीय कचरे का उसके उत्सर्जन होने के स्थान पर ही प्रसंस्करण करने की व्यवस्था करेगा। कचरा उत्सर्जन करने वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अवघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रसंस्करण को वरीयता दी जायगी।

(2) बोर्ड यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, फूल, मांस, कुक्कुट और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे का प्रसंस्करण करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(3) बोर्ड यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में किया जाये।

(4) बोर्ड कचरा प्रबंधन में समुदायों को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग बायो गैस उत्पादन सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करेगा। परंतु, ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छ स्थिति बनाये रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

12. ठोस कचरे का निपटान:-

(1) बोर्ड अवशिष्ट कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों में विहित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किये गये किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

(2) उप पैरा – (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी बोर्ड अपने क्षेत्राधीन में अपशिष्ट कचरा, गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे, नालियों से निकलने वाली गाद तथा अन्य स्रोतों से उत्सर्जित कचरे को लैंडफिल में निपटान के लिए किसी भी नगर निकाय या नगर निकाय समूह के साथ करार कर सकता है, ऐसे नगर निकाय तथा नगर निकाय समूह जिन्होंने सम्बद्ध भवसंरचनाढांचा का निर्माण, संचालन तथा संधारण किया है।

अध्याय-8

उपभोक्ता फीस और स्थल पर ही शास्ति

13. ठोस कचरे की संग्रहण, ढुलाई और निपटान के लिए उपभोक्ता फीस:

- (1) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवायें प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा उपभोक्ता फीस निर्धारित किया जाएगा। उपभोक्ता फीस की दर अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट की गई है।
- (2) कचरा उत्सर्जकों से यथा नियत उपभोक्ता शुल्क का संग्रह बोर्ड या इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत एजेंसी या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
- (3) बोर्ड इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 6 माह के भीतर, उपभोक्ता फीस लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जकों का डाटाबेस तैयार करेगा और उपभोक्ता फीस की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।
- (4) बोर्ड ऑनलाइन भुगतान सहित उपभोक्ता फीस की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपना सकेगा। महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को बरीयता दी जाएगी।
- (5) वार्षिक और छमाही भुगतान की भी प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि उपभोक्ता फीस सम्पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो 12 महीने की बजाए 10 महीने का रकम लिया जाएगा। इसी प्रकार उपभोक्ता फीस 6 महीने का अग्रिम संदाय किया जाता है, तो शुल्क की मांग की रकम छह महीने के बजाये साढ़े पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।
- (6) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट उपभोक्ता फीस प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जाएगा।
- (7) उपभोक्ता फीस के संदाय में चूक होने के मामलों में सक्षम प्राधिकारी चूककर्ता से उसकी वसूली छावनी अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन कर की बकाया राशि के रूप में कर सकेगा।

14. नियमों के उल्लंघन के लिए भास्ति:-

- (1) एसडब्ल्यूएम नियमों या इन उप-नियमों के किसी भी उपबंधों के उल्लंघन या अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों से संलग्न अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति लगाया जाएगा।
- (2) उपरोक्त खंड (क) में यथा उल्लेखित उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या मास, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।
- (3) मुख्य अधिशासी अधिकारी एक सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा शास्ति लगाने हेतु अधिकारी नाम निर्दिष्ट करेगा। शास्ति मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा और जुर्माना के भुगतान न करने के मामलों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन उपनिधि अभियोजन की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।
- (4) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शास्ति प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से प्रवृत्त प्रत्येक वर्ष स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जायगी।

अध्याय - 9

पणधारियों के दायित्व

15. कचरा उत्सर्जकों के दायित्व:-

(1) कूड़ा फैलाने का प्रतिषेध

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलाना: प्राधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति इन विशेष प्रयोजनों के लिए उपबंध किये गये ऐसे सार्वजनिक सुविधाओं के सिवाय किसी सार्वजनिक स्थल पर यानों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने या साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

(ख) किसी सम्पत्ति पर कूड़ा फैलाना: प्राधिकृत निजी या सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त सम्पत्ति पर कूड़ा करकट नहीं डालेगा।

(ग) यानों से कूड़ा फैलाना: किसी यानों के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फेंकेगा या जमा करेगा।

(घ) **मालवाहक यान से गंदगी डालना:** कोई व्यक्ति तबतक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक यान को नहीं चलाएगा, जब तक की ऐसे यान का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत ना किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोडपदार्थ या गंदगी डालने से रोका जा सके।

(ङ) **स्वयं या पालतू पशुओं से गंदगी:** कुत्ता, बिल्ली आदि सहित पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली या किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवर द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा या साफ करेगा और इस तरह उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(ड) **नालियों आदि में कचरे का निपटान:** कोई व्यक्ति किसी नाली, नदी, खुले तालाब या जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा।

(II) **कचरे को जलाना:** सार्वजनिक स्थानों पर या किसी निजी स्थान पर या सार्वजनिक सम्पत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान करना कठोरतापूर्वक निषिद्ध है।

(III) **“स्वच्छ क्षेत्र:”** (क) प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान या आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रहे। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां या गटर सड़क किनारा शामिल हैं जो किसी भी तरह के ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(ख) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शन, सर्कस, मेले, राजनीतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और या बोर्ड से अनुमति अपेक्षित हो, के मामलों में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

(ग) ऐसे आयोजनों के मामलों में आयोजक से बोर्ड द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उनके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी, लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई है और कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरा एकत्र करके निर्दिष्ट स्थलों तक पहुंचा दिया गया है। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें सम्पत्ति को पहुंचाई गई किसी प्रकार की क्षति का हर्जाना शामिल नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में बोर्ड की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हों, तो उन्हें बोर्ड के संबंधित विभाग या अनुभाग को आवेदन करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा कराना होगा।

(घ) खाली प्लाट पर ठोस कचरा पाटना और गैर-नाम निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से बोर्ड के साथ निम्नांकित ढंग से निपटेगा:-

(i) बोर्ड किसी परिसर के मालिक या अधियोगी को नोटिस भेज सकता है जिससे ऐसे मालिक या अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके तथा ऐसे समय के अन्दर जो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो सकेगा।

(ii) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के आदेश तथा उपरोक्त प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित कर्मचारी के आदेश से ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर निर्धारित शास्ति का दायी होगा।

(iii) उपर्युक्त नोटिस पाने वाला व्यक्ति शास्ति भुगतान के अतिरिक्त यदि नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ कर सकता है तथा इस प्रयोजन में अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।

16. **प्रयोज्य उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या ब्रैंड स्वामियों का कर्तव्य :**

(1) प्रयोज्य उत्पादों जैसे टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं या बोर्ड की अधिकारिता में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैंड स्वामियों को कचरा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए बोर्ड को

आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। बोर्ड इस प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकता है।

(2) ऐसे सभी ब्रांड स्वामियों को जो गैर-जैव अपघट्य पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(3) सेनिटरी नेपकिन्स और डायपर्स विनिर्माता या ब्रांड स्वामी या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादों में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का प्रयोग किस हद तक किया जा सकता है या वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनमें ऐसे नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(4) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रांड स्वामी या विपणन कंपनियां आवश्यक रूप से अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेंगी।

(5) ईंधन प्रयोग करने वाली और ठोस कचरा आधारित प्लांट के एक सौ किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयां अपनी ईंधन की जरूरत का कम से कम 5 प्रतिशत भाग इस तरह उत्पादित रिफ्यूज्ड डेराइड ईंधन से पूरा करेंगी।

17. बोर्ड के दायित्व:

(1) बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू-भाग में सभी समान क्षेत्रों, यथा गलियों, मार्गोसार्वजनिक स्थलों, अस्थायी बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनरों से कचरा एकत्र करने और उसे प्रतिदिन बंद यानों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए बोर्ड अपने सफाई स्टाफ और यानों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पक्षकों को काम पर लगा सकता है, या सरकारी-निजी भागीदारी व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो।

(2) बोर्ड या उसके द्वारा संलग्न प्राधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों रेलवे स्टेशनों बस अड्डों धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी नाम निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों या सार्वजनिक स्थानों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए गए ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल प्रसंस्करण यूनिटों आदि स्थलों की निगरानी रख सके।

(4) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के पृथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो सहायक सफाई निरीक्षक के रैंक या समकक्ष से नीचे का अधिकारी नहीं होगा।

(5) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर बुहारने का हलका में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप स्वयं के कार्मिक या आउटसोर्स द्वारा तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती को युक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। बोर्ड को उपयुक्त लगता है तो वह अपने क्षेत्राधीन सीमा के किसी भाग में उपरोक्त प्रयोजन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए करार कर सकता है। प्रत्येक हलके का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(6) बोर्ड अद्यतन सड़क या गली साफ करने वाली मशीनों मैकेनिकल यांत्रिक झाड़ूकशों या अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जो झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार करेगा।

(7) बोर्ड सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जकों और अन्य हितभागियों को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न उपबंधों के बारे में शिक्षित करेगा, जिसमें उपभोक्ता फीस और शास्ति संबंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

- (8) बोर्ड कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर उपचार करें। बोर्ड विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कार और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना या सम्पत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।
- (9) बोर्ड स्वयं द्वारा रख-रखाव किए जा रहे सभी पार्कों, उद्यानों और जहां कहीं संभव हो, अपने अधिकारिता वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का उपयोग करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।
- (10) बोर्ड ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारू और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनकी कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।
- (11) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन सभी श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवियर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन का कार्य करते हैं और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाए।
- (12) बोर्ड कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं के और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।
- (13) किसी ठोस कचरा प्रसंस्करण या उपचार या निपटान केंद्र या लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।
- (14) मुख्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न उपबंधों का पालन हो रहा है।
- (15) बोर्ड अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना द्वारा सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल उपयोजन या वेब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।
- (16) बोर्ड एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के कार्यान्वयन से सबद्ध कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने और उस पर निगरानी रखने के लिए अपने मुख्यालय, सभी अंचलों, वार्ड कार्यालयों आदि में बायो-मीट्रिक या स्मार्ट कार्ड प्रौद्योगिकियों या आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को मजदूरी या पारिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।
- (17) अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड अपनी वेबसाइट के माध्यम से सभी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा।
- (18) बोर्ड एसडब्ल्यूएम नियमों के अधीन उपबंधित सभी अन्य कर्तव्य पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किए गए हैं।

अध्याय - 10

प्रकीर्ण

18 प्रकीर्ण उपबंध –(1) इन उपनियमों का निर्वचन या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे मुख्य अधिशासी अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामलों में अंतिम होगा।

- (2) सरकारी निकायों के साथ समन्वय: बोर्ड अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों की अधिकारिता क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों के अधीन सुनिश्चित किया जा सके।
- (3) सक्षम प्राधिकारी एस डब्ल्यू एम नियमों और इन उप-नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची-1
ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उपभोक्ता फीस

1	2	3
क्र. सं.	श्रेणी	प्रत्येक परिसर/आवास/रिहायशी इकाई/फ्लैट से प्रति माह उपभोक्ता फीस(रुपये में)
1.	आवासीय यूनिट	
(i)	50 वर्ग मीटर तक	50
(ii)	50 वर्ग मीटर से अधिक 200 वर्ग मीटर तक	100
(iii)	200 वर्ग मीटर से अधिक	200
2.	गली विक्रेता	100
3.	व्यापारिक स्थापन, दुकाने, खाने-पाने के स्थान (ढाबा, हलवाई की दुकान/काँफ़ी हाउस आदि)	500
4.	गेस्ट हाउस/धर्मशाला	2, 000
5.	होस्टल	2, 000
6.	50 लोगों तक बैठने वाले रेस्त्रां	2, 000
7.	50 से अधिक लोगों तक बैठने वाले रेस्त्रां	3, 000
8.	होटल(भतारान्कित)	2, 000
9.	होटल(3 स्टार तक)	3, 000
10.	होटल(3 स्टारसे अधिक)	5, 000
11.	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग कक्षाएं, शैक्षिक संस्थान, आदि	2, 000
12.	क्लिनिक, औषधालय, प्रयोगशालाएं, (50 बिस्तर तक) केवल गैर-बायोमैडीकल कचरे के लिए	2, 000
13.	क्लिनिक, औषधालय, प्रयोगशालाएं, (50 से अधिक बिस्तरों वाले) केवल गैर-बायोमैडीकल कचरे के लिए	4, 000
14.	लघु और कुटीर उद्योग, कार्यशाला (केवल गैर जोखिमपूर्ण कचरा)	3, 000
15.	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर जोखिमपूर्ण कचरा)	5, 000
16.	विवाह, पार्टीहॉल, फेस्टिवल हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी और मेले	5, 000
17.	क्लब, सिनेमा हॉल, पब्स, मल्टीप्लेक्सेज़ और अन्य ऐसे स्थल	4, 000
18.	किसी अन्य श्रेणी में कवर न किये गए गैर-वाणिज्यिक धार्मिक या धर्मार्थ संस्थान	2, 000
19.	उपरोक्त संस्थानों में शामिल न किये गए अन्य स्थल/गतिविधि	बोर्डके मुख्य अधिशासी अधिकारी

		द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किये गए निर्णय के अनुसार
--	--	--

टिप्पण : उपभोक्ता फीस या प्रभार का भुगतान मांग जरी होने से 30 दिन के भीतर न किये जाने की स्थिति में उपभोक्ता फीस या प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से देर से संदाय अधिभमे (एलपीएससी) लगाया जाएगा

अनुसूची-2

शास्तियों

क्रम सं.	नियम/उप नियम संख्या	विफलता/उल्लंघन	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए शास्ति (रूप में)
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों के नियम 4 (1)(क) के साथ पठित उप-विधि 4 (1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	आवासीय	200
			विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान	10,000
			5000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले प्रदर्शनी तथा मेले स्थल	5000
			5000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों सिनेमाघरों पब्स सामुदायिक हाल, मल्टी प्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थल	5000
			5000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	500
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों के नियम 4 (1)(ख) और (घ) के साथ पठित उप-विधि 4 (8) और 4(10)	(1) नियमों और उप-विधियों के अनुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना (2)नियमों और उप-विधियों के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना	आवासीय	200
			गैर- आवासीय	500
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों के नियम 4 (1)(ग) के साथ पठित उप-विधि 4 (12)	नियमों और उप-विधियों के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना	आवासीय	200
			गैर- आवासीय	500
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (2)के साथ पठित उप-विधि 15 (II)	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (4)के साथ पठित उप-विधि 4(7)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसिकृत स्थल पर 100	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और	10000

		व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा आयोजित करना	कार्यक्रम मैनेजर यदि कोई हो, जिसने ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (5)के साथ पठित उप-विधि 4(9)	नियमों और उपविधियों के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाला गली विक्रेता	उल्लंघनकर्ता	200
7.	उप विधि 15 (1)के साथ पठित एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15 (छ)	गंदगी फैलाना	अपराधी	500
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार शास्ति लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)के साथ पठित उप-विधि 4(4)	नियमों और उप नियमों के अनुसार कचरे के निपटान में विफलता	निवासी कल्याण संगठन	10000
			बजार संगठन	20000
9.	ए एसडब्ल्यूएम नियम का नियम 4(7)के साथ पठित उप-विधि 4(5)	नियमों और उप विधियों के अनुसार कचरे के निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10000
			संस्थान	20000
10.	एसडब्ल्यूएम नियम का नियम 4(8)के साथ पठित उप-विधि 4(6)	नियमों और उप विधियों के अनुसार कचरे के निपटान में विफलता	होटल	50000
			रेस्त्रां	20000
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)के साथ पठित उप-विधि 16(2)	उनके उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किए बिना डिस्पोजेबल उत्पादों की बिक्री या विपणन	विनिर्माता और/या ब्रैंड स्वामी	100000
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)के साथ पठित उप-विधि 16(3)	नियमों तथा उप विधियों के अनुसार कचरे के निपटान में विफलता	विनिर्माता और/या ब्रैंड स्वामी और/या विपणन कंपनीया	50000
13.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 18 के साथ पठित उप-विधि 16(5)	रिफ्यूज्ड ड्राइव्ड ईंधन द्वारा ईंधन की आवश्यकता को स्थानापन्न करने में विफलता	औद्योगिक यूनिट	100000

[फ़ा. सं. 4(2)/2019 डी (क्यू और सी)]

नाज़ली जा शायीन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st December, 2020

S.R.O. 8(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter referred to as the said Act), the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in the Government of India *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 notified the Solid Waste Management Rules, 2016;

And whereas, the said Solid Waste Management Rules, *inter alia*, shall be applicable to every urban local body, outgrowths in urban agglomerations, census towns as declared by the Registrar General and Census Commissioner of India, notified areas, notified industrial townships, areas under the control of Indian Railways, airports, airbases, Ports and harbours, defence establishments, special economic zones, State and Central government organizations, places of pilgrims, religious and historical importance as may be notified by respective State government from time to time and to every domestic, institutional, commercial and any other non-residential solid waste generator situated in the areas except industrial waste, hazardous waste, hazardous chemicals, bio medical wastes, e-waste, lead acid batteries and radio-active waste, that are covered under separate rules framed under the said Act;

And whereas, clause (e) of rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016 duty bounds the local authorities to frame bye-laws within one year from the date of notification of the said rules;

And whereas, in the matter of Gauri Grover vs. Government of NCT of Delhi in W.P. (C) No. 8917 of 2015, the Hon'ble High Court of Delhi took notice of the fact that the local authorities in Delhi had not framed the bye-laws on Solid Waste Management;

And whereas, the Hon'ble High Court of Delhi constituted a committee, comprising of all local bodies, to frame rules so that there is uniformity in the prescription for different parts of the city and in pursuance of the said directions of the Hon'ble High Court, bye-laws relating to Solid Waste Management by various local bodies of Delhi were notified by the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi;

And whereas, the Hon'ble High Court of Delhi *vide* its order dated 14th March, 2018 allowed Delhi Cantonment Board to follow the procedure, of notification of the bye-Laws, as provided under the Cantonments Act, 2006;

Now, therefore, the following draft bye-laws, which the Delhi Cantonment Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 348 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) read with rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016, is hereby published, as required by section sub-section (1) of section 350 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government after the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws, before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, to these draft bye-laws may be addressed to the Office Superintendent, Delhi Cantonment Board, Delhi.

Draft bye-laws

Delhi Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2020

CHAPTER I

GENERAL

1. Short Title and Commencement.—(1) These bye-laws may be called the Delhi Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability.—These bye-laws shall be applicable within the territorial limits of the Delhi Cantonment.

3. Definitions.— (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, —

(a) **“Board”** means the Delhi Cantonment Board;

(b) **“bulk garden and horticultural waste”** means bulk waste from parks and gardens including grass clippings, weeds, woody brown carbon-rich material such as pruning, branches, twigs, wood chipping, straw, dead leaves, tree trimmings and such other waste, which cannot be accommodated in the daily collection system for bio-degradable waste;

(c) **“bulk waste generator”** means the bulk waste generator as defined under clause (8) of sub-rule (1)

of rule 3 of the Solid Waste Management Rules, 2016 (hereafter referred to as the SWM Rules) and any other waste generator notified by the Chief Executive Officer from time to time;

(d) **“collection”** means lifting and removal of solid waste from source of waste generation, collection points or any other location;

(e) **“competent authority”** means the Chief Executive Officer of the Board or any other person authorised by him;

(f) **“construction and demolition waste”** shall have the same meaning as assigned to it under clause (c) of sub-rule (1) of rule 3 of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016;

(g) **“clean area”** means the public place in front of and all around or adjacent to any premises extending to the kerb side and including the drain, foot path and kerb cleaned and so maintained in accordance with these bye-laws;

(h) **“community waste storage bin”** means any storage facility set up and maintained by the Board or collectively by owners or occupiers, as the case may be, of one or more premises for storage of solid waste in a segregated manner on the roadside or in the premises of any one of such owners or occupiers or in their common premises as authorised by the competent authority (hereafter referred to as the dhalao);

(i) **“containerised hand cart”** means the hand cart provided by the Board or the agency or the agent appointed by it for point-to-point collection of solid waste;

(j) **“delivery”** means handing over any category of solid waste to worker of the Board or any other person appointed, authorised or licensed by the Board for taking delivery of such waste or depositing the same in any vehicle provided by it or by any other authorised agency or licensed by the Board to do so;

(k) **“e-waste”** shall have the same meaning as assigned to it under clause (r) of sub-rule (1) of rule 3 of the E-Waste (Management) Rules, 2016;

(l) **“fixed compactor transfer station” (FCTS)** means a powered machine which is designed to compact segregated solid waste and remains stationary when in operation and the compactor may also be mobile when in operation, which may be called mobile transfer station (hereafter referred to as the MTS);

(m) **“litter”** means all refuse and includes any other waste material which, if thrown or deposited as prohibited under these bye-laws, tends to create nuisance or danger to any person, animal, environment or public health, safety and welfare;

(n) **“littering”** means causing, putting, burying, permitting or allowing litter in such a location that it falls, descends, blows, is washed, percolates or otherwise escapes or is likely to fall, descend, blow, be washed, percolate or otherwise escape into or onto any open or public place;

(o) **“owner”** means any person who exercises the rights of an owner of any building, or land, or part thereof;

(p) **“occupier or occupant”** means any person who is in occupation of or in possession and includes any person who for the time being is using, any land or building or part thereof, for any purpose whatsoever;

(q) **“pelletisation”** means a process whereby pellets are prepared which are small cubes or cylindrical pieces made out of solid waste and includes fuel pellets which are also referred as refuse derived fuel;

(r) **“prescribed”** means prescribed by the SWM Rules or in these bye-laws;

(s) **“public place”** means any place which is open to the use and enjoyment of the public, whether it is actually used or enjoyed by the public or not;

(t) **“storage”** means the temporary containment of solid waste in a manner so as to prevent littering, attraction to vectors, stray animals and excessive foul odor;

(u) **“sanitary worker”** means a person employed by the Board or the agency authorised by it for collecting or removing solid waste or cleansing the drains in the Delhi Cantonment areas;

(v) **“Schedule”** means the Schedule appended to these bye-laws;

(w) **“user fee or charges”** means fees or charges imposed by the Board, through general or special order of the competent authority from time-to-time, on the waste generator to cover full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services;

(x) **“vacant plot”** means any land or open space, belonging to or under the management of any person or private agency or government agency or government department or public undertaking, which is not occupied;

(2) The words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

CHAPTER II

SEGREGATION AND PRIMARY STORAGE OF SOLID WASTE

4. Segregation and storage of solid waste at source.— (1) It shall be the duty of all waste generators to separate and store the solid waste coming out of their respective places regularly into three streams, namely:—

- (a) non-biodegradable or dry waste;
- (b) biodegradable or wet waste;
- (c) domestic hazardous waste and deposit it into covered waste bins, and handover segregated waste to designated waste collectors as directed by the Board from time to time.

(2) Every bulk waste generator is to separate and store the solid waste coming out of their own places into three streams, namely:—

- (a) non-biodegradable or dry waste;
- (b) biodegradable or wet waste;
- (c) hazardous waste in suitable bins and handover segregated waste to authorised waste processing or disposal facilities or deposition centres through the authorised waste collection agency by paying the carrying charges specified by Board from time to time.

(3) The colour of bins for storage of segregated waste shall be green for biodegradable waste, blue for non-biodegradable or dry waste and black for domestic hazardous waste.

(4) All resident welfare and market associations shall, in partnership with the Board, ensure segregation of waste at source by the generators, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The biodegradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible and the residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the Board.

(5) All gated communities and institutions with more than 5, 000 sq. mtrs area shall, in partnership with the Board, ensure segregation of waste at source by the generators, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The biodegradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio- methanation within the premises as far as possible and the residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the Board.

(6) All hotels and restaurants shall, in partnership with the Board, ensure segregation of waste at source, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The biodegradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible and the residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the Board.

(7) No person shall organise an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the Board, either by physically or through online, along with payment of user fee as specified in Schedule-I, at least three working days in advance and such person or the organiser of such event shall ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as directed by the Board.

(8) Used sanitary waste are to be securely wrapped as and when generated in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a news paper or suitable biodegradable wrapping material and place the same in the bin meant for non- biodegradable waste or dry waste.

(9) Every street vendor shall keep suitable containers for storage of segregated waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables or fruits, and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the Board.

(10) Waste generator of garden and horticulture waste generated from his premises shall store such waste separately in his own premises and dispose of the same as per the directions of the Board from time to time.

(11) Domestic hazardous waste shall be stored and delivered by every waste generator to the collection vehicle which shall be provided periodically by the Board or any other agency authorised by it or Government of NCT

of Delhi or the Delhi Pollution Central Committee (DPCC) for collection of such waste, or to a centre designed for collection of such waste for disposal in such manner as may be directed by the Government of NCT of Delhi or the DPCC.

(12) Construction and demolition waste shall be stored and delivered separately as provided under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

(13) No untreated bio-medical waste, e-waste, hazardous chemicals and industrial waste shall be mixed with solid waste. Such waste shall be disposed of in accordance with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules or regulations made thereunder.

(14) Every owner or occupier of any premises other than designated slaughter houses and markets, who generates poultry, fish and slaughter waste as a result of any commercial activity, shall store the same separately in closed, hygienic condition and deliver it at a specified time, on a daily basis to the collection vehicle provided by the Board for this purpose:

Provided that there shall not be any depositing of such waste in any community waste bin and such deposition is strictly prohibited.

(15) Segregated bio-degradable solid waste if not composted by the generators, shall be stored by them within their premises and its delivery shall be ensured to the worker of the Board or vehicle; or waste picker or waste collector or to the waste collection vehicle provided for specified commercial generators of bulk biodegradable waste at such times as may be notified by the Board from time to time.

CHAPTER III

SOLID WASTE COLLECTION

5. Collection of solid waste.— (1) In compliance with the SWM Rules, door to door collection of segregated solid waste shall be implemented in all areas or wards of the Board, to collect garbage from every house, including slums and informal settlements on a daily basis by integrating the informal door to door collection system with Boards collection system.

(2) In order to collect garbage from every house, area-wise specific time slot shall be set and published at conspicuous parts of that area and on the website of the Board. Commonly, time for house to house garbage collection shall be set from 6 am to 11 am. For collection of garbage from trading establishments, shops in commercial areas or any other institutional waste generators, commonly the time shall be from 7 am to 12 noon. The household, institution and commercial entities shall hand over the garbage to waste collector.

(3) Arrangements shall be made for collection of residual solid waste from bulk waste generators, which are processing waste in-situ.

(4) Residual solid waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market shall be collected on day to day basis.

(5) Horticulture and garden waste shall be separately collected and disposed of once or twice in a week.

(6) To make optimum use of biodegradable waste from fruits and vegetable markets, meat and fish markets, bulk horticulture and garden waste and to minimise the cost of collection and transportation, such waste shall be processed or treated within the area where waste is generated.

(7) Manual handling of waste in the containers shall be prohibited. If it is unavoidable due to unexpected constraints, manual handling shall be carried out under proper protection with due care for safety of workers.

(8) Waste generators shall be responsible to deposit their segregated waste in the auto-tippers or rickshaws deployed by the Board or by the notified authorised waste collector. Segregated waste from multi-storied buildings, apartments, housing complexes may be collected from the entry gate or any other designated location as directed by the competent authority.

(9) Changing needs and advances in technology shall be taken into consideration for selection of collection equipment and vehicles from time to time. Auto-tippers or vehicles of specific capacity with-hydraulically operated hopper covering mechanism from top having two compartments for carrying biodegradable and non-biodegradable waste separately with a hooter shall be deployed for collection of waste.

(10) Automatic voice recorded device, bell or horn or other suitable device having sound not more than the permissible noise level shall be installed on every garbage collection vehicle used by the waste collectors.

(11) Route plans for each primary collection and transportation vehicle shall be provided by the Board or by the notified authorised waste collector. These plans in tabular as well as GIS map form, duly approved by the Board shall mention starting point, start time, waiting points, waiting time on route, end point and end time of the specified Route. The Board or the notified authorised waste collector shall provide a display board at each street to display the

time-table of primary collection and transportation vehicles to allow residents avail the facility at specified time. Such information shall also be uploaded on the website of the Board.

(12) In narrow streets where it is not possible to provide service by auto tipper or the vehicle, a three-wheeler or smaller motorised vehicle with hydraulically operated hopper covering mechanism from top having two compartments for carrying wet and dry waste separately with a hooter, compatible with mobile transfer station shall be deployed.

(13) In congested and narrower streets where it is not possible to provide service by a three-wheeler or any suitable smaller vehicle, cycle rickshaws or any other type of suitable equipment shall be deployed.

(14) Smaller, narrow or congested streets or lanes where even a three-wheeler or rickshaw or any other type of suitable vehicles may not be in a position to deploy, vantage points shall be designated at the start of the locality or street, where the collection vehicle shall be parked and the helper or driver of the vehicle shall carry a whistle and walk in the locality to announce arrival of the vehicle for collecting solid waste. Time table for such collection system shall be displayed at the display board and uploaded on the website of the Board. Every household shall be responsible to ensure to handover segregated waste to the collector at the designated place.

(15) Auto tippers, three-wheelers, rickshaws and any other type of collection vehicles engaged in the service shall collect waste only from households and not from any other source, such as, dhalaos, open sites, ground, bins or drains.

(16) The Board or its notified authorised waste collectors shall be responsible to cover all the streets or lanes of each zone for the primary collection of solid waste.

CHAPTER IV

SECONDARY STORAGE OF SOLID WASTE

6. Storage of solid waste in the secondary storage points.— (1) Segregated solid waste collected from doorsteps shall be taken to waste storage depots, community storage bins or fixed or mobile transfer stations or the locations specified by the Board for secondary storage of waste.

(2) The secondary storage points shall have covered containers, of specified colour, for separate storage of the following, namely:—

- (a) non-biodegradable or dry waste;
- (b) biodegradable or wet waste;
- (c) domestic hazardous waste.

(3) Different coloured containers shall be used in the areas demarcated by the Board to keep segregated waste in the following manner, namely:—

- (a) green- for biodegradable waste;
- (b) blue for non-biodegradable waste;
- (c) black - for domestic hazardous waste.

(4) The Board shall, from time to time, notify mandatory colour coding and other specifications of receptacles prescribed for storage and delivery of different types of solid waste to enable safe and easy collection without any mixing or spillage of waste, which generators of different types of solid waste shall adhere to.

(5) The Board on its own or through outsourcing agencies shall maintain the storage facilities for solid waste in a manner that does not create unhygienic and unsanitary conditions around it.

(6) Containers of various sizes in the secondary storage depots shall be provided by the Board or any agency authorised by it in different colours as specified in these bye-laws.

(7) Storage facilities shall be created and established by taking into account quantities of waste generation in a given area and the density of population and such storage facilities shall be user friendly and shall be so designed to ensure compaction of waste and not exposed to open atmosphere.

(8) All the housing cooperative societies, associations, colonies, residential and commercial establishments or gated communities shall have the responsibility to put coloured bins as specified in these bye-laws and to keep adequate number of containers in clean and good condition in appropriate places in their own complexes at their own cost, so that the daily waste generated there can be properly deposited.

(9) The Board or the agency authorised by it shall carry out washing and disinfection of all the bins on a regular basis.

7. Recycling centers for dry waste (Non-biodegradable waste).— (1) The Board shall convert its existing dhalaos or identify specific locations as per requirement, as 'recycling centers' which shall be used for segregation of dry waste received through street or door to door waste collection service. Recycling centers may be increased depending on the quantity of dry waste received.

(2) Dry (non-biodegradable) waste collected through street or door- to-door collection system and from commercial establishments shall be transferred to the designated recycling centers and such designated centers shall receive only dry waste.

(3) The households may also directly deposit or sell their recyclable dry waste to the authorised agents or authorised waste dealers, as the case may be, of the Board at these recycling centres at pre-notified rates. The dealers shall maintain weighing scale and a counter at a permitted place at each recycling unit for this purpose. The authorised agents or, as the case may be, the authorised waste dealers shall be allowed to dispose of or sell the recyclable waste to the secondary market or recycling units only in consonance with the provisions of the SWM Rules. The authorised agents or authorised waste dealers shall be entitled to retain sales realisation thereof.

8. Deposition centre for specified domestic hazardous waste.— (1) For the collection of domestic hazardous waste, a deposition centre shall be set up at a suitable location for receiving the specified domestic hazardous waste. Such facility shall be set-up in each ward in such manner as may be prescribed by the Government and notify the timing of receiving of such waste.

(2) The Board may also give the responsibility to authorised agent or concessionaire to collect domestic hazardous waste from all waste generators in segregated manner and such waste shall be transported separately to the hazardous waste disposal facility set up by the Government.

CHAPTER V

TRANSPORTATION OF SOLID WASTE

9. Transportation of solid waste.— The transportation of solid waste shall be done in the following manner, namely:—

(i) Vehicles used for transportation of waste shall be covered in such manner that the collected waste is not exposed to open environment. The vehicles may also include compactors and mobile transfer stations depending upon choice of technology by the Board.

(ii) The storage facilities set up by the Board shall be attended daily for clearing waste and the areas surrounding the place where the bins or containers are kept shall also be cleaned.

(iii) The collected and segregated bio-degradable waste from residential and other areas shall be transferred to the processing plants like compost plants, bio- methanation plants or any such other facilities in a covered manner.

(iv) Wherever applicable, for biodegradable waste, preference shall be given for on-site processing of such waste.

(v) Collected non-bio-degradable waste shall be transported to the respective processing facilities or secondary storage facilities.

(vi) Construction and demolition waste shall be transported as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

(vii) The Board shall make arrangements for transportation of inserts in a proper manner. The street sweeping waste and removable drain silt shall be removed immediately after the work is over.

(viii) Transportation vehicles shall be so designed that multiple handling of waste, prior to final disposal, is avoided.

(ix) The collection vehicles engaged for transportation purpose shall deposit or transfer the waste only at the MTS or FCTS wherever provided.

(x) In case MTS or FCTS are not stationed at the designated location at that point of time for any reason, then the loaded vehicle shall go to the next designated location of the MTS or FCTS or the site specified by the Board to unload the waste.

(xi) FCTS shall be transported through hook loader.

(xii) The MTS or FCTS shall transport the waste directly to compost plant, waste to energy plant or any other site or plant as may be designated by the Board.

(xiii) There shall not be any inter-mixing of waste from various sources during the transportation of waste.

- (xiv) The services of street level collection and transportation of waste shall be provided every day.
- (xv) The MTS engaged in this service shall receive waste only from designated auto tippers, three-wheelers or vehicles or bins collecting waste from street level operations.
- (xvi) The dedicated MTS shall be deployed at specified locations to receive waste from the auto-tippers, three-wheelers or rickshaws engaged in street-level and door-to-door collection of solid waste from households and commercial establishments as per the approved route plans.
- (xvii) The design of MTS and FCTS shall allow unloading of waste from primary collection vehicles by consuming minimum time and without littering waste.
- (xviii) The garbage spilled near MTS and FCTS, while transferring the solid waste, shall be cleaned so that no spillage is left. Disinfectant shall be used after cleaning process at that location.
- (xix) The Board or its authorised agent or agency shall install CCTV cameras at all secondary storage facilities.

CHAPTER VI

PROCESSING OF SOLID WASTE

10. Processing of solid waste.— (1) The Board shall facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on its own or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology including the following technologies and adhering to the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Urban Development from time to time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board, namely:—

- (a) to minimize transportation cost and environmental impacts, preference shall be given to decentralized processing such as bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilisation of biodegradable waste;
 - (b) through medium or large composting or bio-methanation plants at centralised locations;
 - (c) through waste to energy processes by refuse derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid waste based power plants;
 - (d) through construction and demolition waste management plants and
 - (e) to make all endeavours to create a market for consumption of refuse derived fuel to the extent it is possible.
- (3) In waste to energy plant by direct incineration, absolute segregation shall be mandatory and be part of the terms and conditions of the relevant contracts.
- (4) The Board shall endeavor that recyclables such as paper, plastic, metal, glass, or textile material go to authorised recyclers.

11. Other guidelines for processing of solid waste .— (1) The Board shall enforce processing of bio-degradable waste on site of generation of such waste through composting or bio-methanation, as far as possible, at RWAs, group housing societies, markets, messes of armed forces and other agencies, gated communities and institutions with more than 5000 sq. mtr areas, all hotels and restaurants, banquet halls and places of such nature. Preference shall be given for on-site processing of biodegradable waste generated by other waste generators as well.

(2) The Board shall enforce that markets dealing with vegetables, fruits, flowers, meat, poultry and fish waste while processing bio-degradable waste ensure hygienic conditions.

(3) The Board shall enforce processing of horticulture, parks and garden waste separately in the parks and gardens as far as possible.

(4) The Board shall take all steps to involve communities in waste management and promote home composting, bio-gas generation, decentralised processing of waste at community level, subject to control of odor and maintenance of hygienic conditions around the facility.

CHAPTER VII

DISPOSAL OF SOLID WASTE

12. Disposal of Solid waste.— (1) The Board shall undertake on its own or through any other agency, the construction, operation and maintenance of sanitary landfill and associated infrastructure for disposal of residual waste and inert street sweepings and silt from surface drains in such manner as may be prescribed in the SWM Rules and any other obligation imposed by any other law for the time being in force.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Board may enter into agreement with any other municipal body or group of municipal bodies so as to get the residual waste, inert street sweeping waste, silt from surface drains and others generated within the area of responsibility of the Board are disposed in landfill and associated infrastructure constructed, operated and maintained by such municipal body or group of municipal bodies.

CHAPTER VIII

USER FEE AND IMPOSING OF SPOT PENALTY

13. User fee for collection, transportation and disposal of solid waste.— (1) There shall be a user fee fixed for providing services for garbage collection, transportation and disposal from waste generators by the Board. The rates of user fee are as specified in Schedule-I.

(2) The Board shall collect the user fee so fixed from waste generators or the authorised agency or any person authorised by the competent authority by a general or special order in this behalf.

(3) The Board shall prepare the database of all the waste generators for the purpose of levying user fee, and evolve appropriate mechanism for billing or collection or recovery of such user charges, within six months from the date of notification of these bye-laws. The database shall be updated regularly.

(4) The Board may adopt different methods for collection of user fee including online payment, on particular days in a month, preferably in first week of each month, shall be fixed for collection of such user fee.

(5) There shall also be a system of yearly or half yearly payment. If the user fee is paid in advance for the entire year, then amount for ten months will be charged instead of twelve months. Similarly, for six months advance payment, five and half months demand amount will be charged instead of six months.

(6) The user fee specified in Schedule-I shall stand increased automatically by 5% every year with effect from 1st January of each successive year.

(7) In case of default of payment of user fee, the competent authority may recover the same from the defaulter as an arrear of tax under the provisions of the Cantonments Act, 2006.

14. Penalty for contraventions.— (1) Whosoever contravenes or fails to comply with any of the provisions of the SWM Rules or these bye-laws shall be imposed with penalty as specified in Schedule-II appended to these bye-laws.

(2) In case of repeated contravention or non-compliance as mentioned in clause (a) above, for every such repeated default, penalty shall be levied on per day basis or monthly basis, as the case may be.

(3) The Chief Executive Officer shall designate officers or such other employees for levying penalty by a general or special order in this behalf. The penalty shall be levied and collected on the spot and in case of non-payment of penalty at the spot, the procedure for prosecution as provided under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder shall be followed.

(4) The penalty specified in Schedule-II shall stand increased automatically by 5% every year with effect from 1st January of each successive year.

CHAPTER IX

RESPONSIBILITIES OF STAKEHOLDERS

15. Responsibilities of waste generators. —

(I) Prohibition of littering:—

(a) **Littering in any public place:** No person shall litter in any public place except in authorised public or private litter receptacles. No person shall repair vehicles, wash or clean utensils or any other object or keep any type of storage in any public place, open or vacant space, except in such public facilities or conveniences specifically provided for any of these purposes.

(b) **Littering on any property:** No person shall litter on any open or vacant property except in authorised private or public receptacles.

(c) **Litter-throwing from vehicles:** No person, whether a driver or passenger in a vehicle, shall litter upon any street, road, sidewalk, playground, garden, traffic island or other public place.

(d) **Litter from goods vehicles:** No person shall drive or move any truck or other goods vehicle unless such vehicle is so constructed and loaded as to prevent any load, contents or litter from being blown off or deposited upon any road, sidewalks, traffic island, playground, garden or other public place.

(e) **Litter by owned or pet animals:** it shall be the responsibility of the owner of any pet animal including dog, cat or such other animal to promptly scoop or clean up any litter created by such pet on the street or any public place and take adequate steps for the proper disposal of such waste preferably by their

own sewage system.

(f) **Disposal of waste in drain, etc.:** No person shall litter in any drain, river, open pond or in water bodies.

(II) Burning of waste:—

Disposal by burning of any type of solid waste at public places or at any private or public property is strictly prohibited.

(III) Clean Area:—

(a) Every person shall endeavour that any public place in front of or adjacent to any premises owned or occupied by him including the footpath and open drain or gutter and kerb is free of any waste, either in solid or liquid form.

(b) For public gatherings and events organised in public places for any reason (including for processions, exhibitions, circuses, fairs, political rallies, commercial, religious, socio-cultural events, protests and demonstrations, etc.,) where the permission from the police department or from the Board, as the case may be, is required, it shall be the responsibility of the organiser of the event or gathering to ensure the cleanliness of that area as well as all appurtenant areas.

(c) Refundable cleanliness deposit, as notified by the Board, shall be collected by the authorised officer for the duration of the event from the organiser. This deposit shall be refunded on the completion of the event after it is noted that the said public place has been restored back to a clean state, and any waste generated as a result of the event has been collected and transported to designated sites. The said deposit collected by the Board is only for maintenance of cleanliness of the public place and does not cover any damage to property. In case the organisers of the event wish to avail of the services of the Board for the cleaning, collection and transport of waste generated as a result of that event, they may request by making an application to the concerned department or section in the Board and pay the necessary charges as may be fixed by the competent authority for this purpose.

(d) Dumping of solid waste on vacant plot and depositing construction and demolition waste at non-designated locations shall be dealt with by the Board in the following manner, namely:—

- (i) The Board may serve a notice on the owner or occupier of any premises, requiring such owner or occupier to clear any waste on such premises in such manner and within such time as may be specified in such notice.
- (ii) If, the person on whom the notice has been served fails to comply with the requirements imposed by the notice, such person shall be liable to pay penalty for each such failure, as ordered by the competent authority or by an employee as designated by the competent authority for the said purpose.
- (iii) Apart from paying the penalty on whom the aforementioned notice is served fails to comply with the requirement imposed by such notice, the competent authority or a person designated by him may, enter on the premises and clear the waste and recover from the occupier the expenditure incurred in having do so.

16. Duty of manufacturers or brand owners of disposable products and sanitary napkins and diapers.— (1) All manufacturers of disposable products such as, tin, glass, plastics packaging, etc., or brand owners who introduce such products in the market within the jurisdiction of the Board shall provide necessary financial assistance to the Board for establishment of waste management system. The Board may also coordinate with the concerned departments in the Central Government and with the Government of NCT of Delhi for implementation of these provisions.

(2) All such brand owners who sell or market their products in such packaging material which are non-biodegradable shall put in place a system to collect back the packaging waste generated due to their production.

(3) Manufacturers or brand owners or marketing companies of sanitary napkins and diapers shall explore the possibility of using all recyclable materials in their products or they shall provide a pouch or wrapper for disposal of each napkin or diapers along with the packet of their sanitary products.

(4) It shall be the responsibility of all such manufacturers, brand owners or marketing companies to educate the masses for wrapping and disposal of their products.

(5) All industrial units using fuel and located within one hundred kms' from a solid waste based refuse derived fuel plant shall make arrangements to replace at least five per cent. of their fuel requirement by refused derived fuel so produced.

17. Responsibility of Board.— (1) The Board shall, within its territorial area, be responsible for ensuring regular

system of surface cleaning of all common areas, such as streets or roads, public places, temporary settlements, slum areas, markets, parks owned by it, gardens or drains by employing human resources and machines and shall be bound to collect the garbage from the declared storage containers, and transport it every day to the final disposal point in closed vehicles for which the Board may engage private parties or agencies on contract or public private partnership mechanism, apart from its own cleaning staff and vehicles and the Board shall also identify all the commercial areas for carrying out sweeping twice a day, if needed.

(2) The Board or any agency authorised by it shall provide and maintain sufficient number of community litter bins of proper size on public roads, in surroundings of railway stations, bus stops, religious places and in commercial areas, if found necessary.

(3) The competent authority shall, for the purpose of managing solid waste activities in decentralised and regular manner, designate one official or an employee in every ward to supervise the spots of containers, public toilets, community toilets or urinals in public places, transfer station for public garage, landfill processing units, etc.

(4) The competent authority shall designate adequate number of senior officials, preferably not below the rank of Assistant Sanitary Inspector or equivalent, as Nodal Officers to monitor the progress of segregation, collection, transportation, processing and disposal of solid waste.

(5) Each ward shall be divided into sweeping beats based on the prescribed parameter and deploy its own or outsourced manpower accordingly or rationalise the existing deployment and monitor their work by using latest and suitable technology. The Board may also enter into public private partnership for the said purpose as it deems fit for a portion of its area of responsibility. Each beat shall be inspected by the supervising officials on daily basis as per the directions given from time to time.

(6) The Board shall employ latest road or street cleaning machines, mechanical sweepers or other equipment which improves the efficiency of sweeping and drainage cleaning.

(7) The Board shall create awareness and sensitization through information, education and communication campaign and educate the waste generators and other stakeholders about the various provisions of the SWM Rules and these bye-laws with special emphasis on user fee and penalties.

(8) The Board shall encourage waste generators to treat wet waste at source. It may consider creating systems for incentives for adoption of decentralized technologies such as bio-methanation, composting, etc. Incentives may be like awarding and recognising the households, Resident Welfare Associations and institutions, etc., by giving certificates, by publishing their names on respective websites or rebate in property tax, etc.

(9) The Board shall undertake use of compost in all parks, gardens maintained by it and wherever possible, in other places under its jurisdiction. Incentives may be provided to recycling initiatives by informal waste recycling sector.

(10) The Board shall make efforts to streamline and formalise solid waste management systems and make all endeavour that the informal sector workers in waste management (waste pickers) are given priority to upgrade their work conditions and are enumerated and integrated into the formal system of solid waste management.

(11) The Board shall ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniforms, fluorescent jackets, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce.

(12) The Board shall ensure occupational safety of its own staff and staff of outsourced agency involved in collection, transport and handling of waste by providing appropriate and adequate personal protective equipments.

(13) In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the officer-in-charge of the facility shall report to the Board immediately which shall review and issue instructions, if any, to the in-charge of the facility.

(14) The Chief Executive Officer or any other officer authorised by him shall conduct regular checks in various parts of the wards and other places of collection, transportation, processing and disposal of solid waste and supervise compliance of various provisions of the SWM Rules and these bye-laws.

(15) The Board shall develop a public grievance redressal system (PGRS) by setting up of call centre at its headquarter. The PGRS may include SMS based service, mobile application or web based services.

(16) The Board shall install bio-metric or smart card technologies or ICT System for tracking and recording attendance of employees associated with the working of the SWM Rules and these bye-laws at their head quarters, all zonal offices and ward offices and shall make an endeavor to integrate such system with wages or remuneration, as the case may be.

(17) To ensure greater transparency and public accessibility, the Board shall provide all necessary information through its website.

(18) The Board shall perform all other functions and discharge all other duties provided under the SWM Rules, which have not been specifically mentioned in these bye-laws.

CHAPTER-X

MISCELLANEOUS

18. Miscellaneous provisions.— (1) If any doubt or difficulty arises in the interpretation or implementation of these bye-laws, the same shall be placed before the Chief Executive Officer whose decision in the matter shall be final.

(2) The Board shall co-ordinate with all other government agencies and authorities, to ensure compliance of these bye-laws within areas under the jurisdiction or control of such bodies.

(3) The competent authority may issue general or special orders from time to time for proper implementation of the SWM Rules and these bye-Laws.

SCHEDULE-I

USER FEE FOR SOLID WASTE MANAGEMENT

S. No.	Categories	User Fee from each premises/ House/ Dwelling Unit/ Flat per month (in Rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Residential dwelling unit:	
	(i) up to 50 sq. mts.	50
	(ii) over 50 sq. mts. up to 200 sq. mts.	100
	(iii) over 200 sq. mts.	200
2.	Street Vendor	100
3.	Commercial establishments, shops, eating places (Dhaba/sweet shops/coffee house, etc.)	500
4.	Guest House/ Dharmshalas	2, 000
5.	Hostel	2, 000
6.	Restaurants up to the sitting of 50 persons	2, 000
7.	Restaurants with sitting of more than 50 persons	3, 000
8.	Hotel (Unstarred)	2, 000
9.	Hotel (Up to 3 star)	3, 000
10.	Hotel (Over 3 star)	5, 000
11.	Commercial offices, government offices, bank, insurance offices, coaching classes, educational institutes, etc.	2, 000
12.	Clinic, dispensary, laboratories (upto 50 beds) only non-bio medical waste	2, 000
13.	Clinic, dispensary, laboratories (more than 50 beds) only non- bio medical waste	4, 000
14.	Small and cottage industry, workshops (only non- hazardous waste)	3, 000
15.	Godowns, cold storages (only non-hazardous waste)	5, 000
16.	Marriage/Party Halls, festivals halls, Party Lawns, exhibition and fair's	5, 000
17.	Clubs, Cinema Halls, Pubs, Multiplexes and other such places	4, 000

18.	Any other non-commercial, commercial, religious or charitable institutions not covered in any other category	2, 000
19.	Other places/activity not provided above	As decided by the Chief Executive Officer by general or special order

Note:—Late Payment Surcharge (LPSC) shall be charged at the rate of 10% per annum of the user fee or charges, if the user fee or charges are not paid within 30 days of raising the demand.

**SCHEDULE –II
PENALTIES**

S. No.	Rule/ Bye-law No.	Failures/Contraventions	Applicable to	Penalty for every default (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rule 4 (1)(a) of SWM Rules read with bye-law 4 (1) (a)	Failure to segregate and store waste and handover segregated waste in accordance with the Rules and bye-laws	Residential	200
			Marriage/Party Halls, Festival Halls, Party Lawns,	10, 000
			Exhibition and fairs with area less than 5000 sqm.	5, 000
			Clubs, Cinema Halls, Pubs, Community halls, Multiplexes and other such places with area less than 5000 sqm.	5, 000
			Other non-residential entities with area less than 5000 sqm.	5000
2.	Rule 4 (1) (b) and (d) of SWM Rules read with bye-law 4 (8) and 4 (10)	(i) Failure to deal with sanitary waste in accordance with the Rules and bye-laws (ii) Failure to deal with horticulture waste and garden waste in accordance with the Rules and bye-laws	Residential	200
			Non Residential	500
3.	Rule 4 (1) (c) of SWM Rules read with bye-law 4 (12)	Failure to deal with construction and demolition waste in accordance with the Rules and bye-laws	Residential	200
			Non Residential	500
4.	Rule 4 (2) of SWM Rules read with bye-law 15 (II)	Open burning of solid waste	Violator	5, 000
5.	Rule 4 (4) SWM Rules read with bye-law 4 (7)	Organizing an event or gathering of more than one hundred person at any unlicensed place without following the prescribed procedure in Rules and bye-laws	Person organised such event or gathering or, on whose behalf such event or gathering has been organised and the event manager or managers, if any, who organised such event or gathering	10, 000
6.	Rule 4 (5) of SWM Rules read with bye-law 4 (9)	Street Vendor failing to deal with waste with the Rules and bye-laws	Violator	200
7.	Bye-law 15 (I) read with rule 15 (g) of SWM Rules	Littering	Offender	500
Penalty shall be levied only once in a month for the following violations				
8.	Rule 4(6) of SWM Rules read with bye-law 4 (4)	Failure to deal with waste in accordance with the Rules and bye-laws	Resident Welfare Association	10, 000
			Market Association	20, 000

9.	Rule 4(7) of SWM Rules read with bye-law 4 (5)	Failure to deal with waste in accordance with the Rules and bye-laws	Gated Community	10, 000
			Institution	20, 000
10.	Rule 4(8) of SWM Rules read with bye-law 4 (6)	Failure to deal with waste in accordance with the Rules and bye-laws	Hotel	50, 000
			Restaurant	20, 000
11.	Rule 17 (2) of SWM Rules read with bye-law 16 (2)	Selling or marketing of disposable products without a system of collecting back the packaging waste generated due to their production	Manufactures and/or Brand Owner	1, 00, 000
12.	Rule 17 (3) of SWM Rules read with bye-law 16 (3)	Failure to take measure in accordance with the Rules and bye-laws	Manufactures and/or Brand Owner and/or marketing companies	50, 000
13.	Rule 18 of SWM Rules read with bye-law 16 (5)	Failure to replace fuel requirement by refuse derived fuel	Industrial Unit	1, 00, 000

[F.No. 4(2)/2019-D(Q&C)]

NAZLI J. SHAYIN, Jt. Secy.